निर्णय बइजलास श्री संजीव कुमार खेदड, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 83 / 2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 19 / 07 / 2024
निर्णय दिनांक :– 04 / 09 / 2024

अनवान

1. हाजी गफुर मोहम्मद पुत्र अहमद मोहम्मद जाति छीपा निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद (राजस्थान)
2. महेन्द्रसिंह राठौड़ पुत्र छेलसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा दुर्जन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली, (राजस्थान)
3. अनुज मलिक पुत्र भोपालसिंह जाति जाट निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद (राजस्थान)
4. चन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह चुण्डावत जाति राजपूत निवासी भुण्डवास तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद (राजस्थान)
5. बाबुलाल कलाल पुत्र धना कलाल निवासी अजंता नगर सोसायटी सचिन सुरत, गुजरात।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री राजेश समदानी अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ भू.अभि.नि. देवगढ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो जिसके पुराने खसरा नम्बर 1 / 30 राजस्व रिकार्ड मे

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

दर्ज थी तथा नये खसरा नम्बर 57 क्षैत्रफल 3.4400 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटी पूर्ण दर्ज है। उक्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार मालिक हैं एंव उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड राजस्व नक्शे मे जो प्रार्थीगण की भूमि नये खसरा नम्बर 57 क्षैत्रफल 3.4400 हैक्टेयर जिस स्थान पर अंकित किये गयें वो आंषिक रूप से गलत दर्ज है जहां प्रार्थीगण पूर्व नक्षा अनुसार मौके पर काबिज है वहां पर विपक्षीसं. 02 के नाम भूमि तरमीम कर दी गई हैं जो त्रुटिपूर्ण है जिसका आराजी नं. 54 है। उक्त राजस्व नक्शे में गलत अंकन की जानकारी राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस एंव रेकार्ड प्राप्त करने पर हुई। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के नवीन खसरा नम्बर 57 क्षैत्रफल 3.4400 हैक्टेयर अंकित किया गया हैं वह गलत दर्ज हैं उसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही थी परन्तु अभी प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस निकलवाई तब प्रार्थीगण को राजस्व नक्शे में उक्त आंषिक त्रुटी की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थीगण ने जमाबन्दी नकल एंव राजस्व नक्शा ट्रेस, राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तो पता चला कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के राजस्व नक्शे में आंषिक त्रुटी हैं और प्रार्थीगण के नवीन खसरा नम्बर वर्तमान राजस्व नक्शे में दर्ज हैं जो आंषिक त्रुटीपूर्ण दर्ज है तथा प्रार्थीगण वर्तमान में पूर्व जमाबंदी एंव नक्षा ट्रेस अनुसार काबिज हैं वहां पर सेटलमेन्ट विभाग ने विपक्षीगण सं. 02 के नाम की खातेदारी भूमि जिसके खसरा नं. 54 गलत तरमीम कर दी हैं एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण के नवीन खसरा नम्बर 57 क्षैत्रफल 3.4400 हैक्टेयर को सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम कर दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के वास्तविक एंव सभी दस्तावेज एंव पटवारी हल्का द्वारा जारी की गई राजस्व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है । के अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज हैं उसी स्थान पर नये खसरा नम्बर 57 क्षैत्रफल 3.4400 हैक्टेयर को अंकित कर दर्ज किया जावें। राजस्व रिकार्ड एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटी की वजह से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वर्तमान राजस्व नक्शे में त्रुटी वश हुए गलत अंकन को पूर्व जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार जिस स्थान पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा हैं उसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन करा दुरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण जब उक्त राजस्व नक्शा ट्रेस में हुई त्रुटी की शुद्धि हेतु तहसील कार्यालय पहूंचे तो वहां पर जानकारी हुई कि राजस्व रिकॉर्ड एंव नक्शा ट्रेस में शुद्धि के लिये दावा करना पडेगा जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के लिये आप

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

न्यायालय में धारा 136,131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। जो त्रुटी राजस्व ट्रेस में की गई हैं उसे पुराने जमाबन्दी रेकार्ड एंव पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार तथा मौके पर कब्जे अनुसार विशुद्व करने के लिये श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि पूर्व राजस्व जमाबन्दी एंव ट्रेस के अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज हैं परन्तु राजस्व ट्रेस में आंषिक गलत अंकन होने के कारण प्रार्थीगण को काफी नुकसान पहूंच रहा है। राजस्व जमाबन्दी एंव ट्रेस में गलत अंकन होने की वजह से प्रार्थीगण भूमि को विकसित नही कर पा रहा हैं प्रार्थीगण पूर्व राजस्व ट्रेस के अनुसार ही मौके पर काबिज है। परन्तु नये नक्शे में आंषिक त्रुटी होने की वजह से उसे विशुद्व किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व जमाबन्दी एंव ट्रेस में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 57 क्षैत्रफल 3.4400 हैक्टेयर जो कि राजस्व नक्षे में गलत दर्ज हैं के स्थान पर पुरानी जमाबन्दी एंव पुराने नक्शा ट्रेस एंव मौके पर कब्जे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड अनुसार अंकन कर विशुद्व किये जाने का आदेश प्रदान करावें कि प्रार्थीगण वर्तमान में जहां पूर्व की जमाबंदी और राजस्व रेकार्ड नक्षा ट्रेस अनुसार काबिज हैं उसी स्थान पर नये नम्बर को राजस्व नक्षा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का देवगढ़ की रिपोर्ट पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया कि ग्राम देवगढ की गत जमाबन्दी खाता संख्या 1193 आराजी संख्या 1/30 श0न0 2,3 रकबा 16 बीघा रामसिंह पिता केशरसिंह राजुसिंह पिता नंगासिंह रावत सा देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड था मौके पर उक्त खातेदार काबिज है। ग्राम देवगढ़ में वक्त सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी नं. 1/30 श0न0 2,3 रकबा 16 बीघा के नवीन आराजी संख्या 55 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म आ.चा. आराजी संख्या 56 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म आ.चा. आराजी संख्या 57 रकबा 3.44 हैक्टेयर बनाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किए गए। आराजी संख्या 57 वर्तमान जमाबन्दी में अनुज मलिक पुत्र भोपालसिंह वगैराह के नाम दर्ज है। संलग्न जमाबन्दी नकल खाता संख्या 1743 वक्त सेटलमेन्ट के दौरान नवीन राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 57 का नक्शा छोटा बनाकर आराजी संख्या 58 का नक्शा बना दिया गया है। जिससे राजस्व नक्शे अनुसार आराजी संख्या 57 का रकबा 2.79 हैक्टेयर होता है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

मौके अनुसार प्रार्थी आराजी संख्या 57 में पूर्ण व 58 के अधिकांश भाग पर पूर्व से काबिज है। वर्तमान नवीन नक्शें में दर्ज आराजी संख्या 57 व 58 पुराने आराजी संख्या 1स.न. 2,3 के कायम हुए है। ग्राम देवगढ़ के आराजी संख्या 58 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका देवगढ़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से असालतन व वकालतन जवाब पेश नहीं किया गया जिससे अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब का अवसर बंद किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवदेन किया प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थीगण के नाम पुराने खसरा संख्या 1/30 राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसके नवीन आराजी संख्या 57 रकबा 3.4400 हैक्टेयर भूमि दर्ज थी। जिसे वक्त सेटलमेन्ट राजस्व नक्शे में गलत तरमीम करते हुए त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दिया गया है। नवीन जमाबन्दी में सेटलमेन्ट द्वारा बिना मौके की जांच पड़ताल किये प्रार्थी की खातेदारी भूमि की गलत तरमीम कर दी गई है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार अपने प्रस्तुत जवाब की ताईद की।

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, देवगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम देवगढ़, पटवार क्षेत्र देवगढ़, तहसील देवगढ़ के पुराने आराजी संख्या 1/30 श.न. 2,3 रकबा 16 बीघा नवीन आराजी संख्या 57 रकबा 3.4400 हैक्टेयर भूमि की सेटलमेन्ट से पूर्व की स्थिति कायम करते हुए सेटलमेन्ट से पूर्व राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करते हुए एवं मौके की जांच कर तरमीम की विधिसम्मत नियमानुसार कार्यवाही की जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)